4831

(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज केसुराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी बालेसर) सू.अ.अ. अपील संख्या 153/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी केसुराम पुत्र पूनाराम विश्नोई निवासी मोटाणिया नगर, तहसील बापिणी जिला जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.10.18 में उसके द्वारा (1) राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 125 जोधपुर से जैसलमेर हाल ही में दिया गया मुआवजा राशि ग्राम पंचायत आगोलाई पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर में दिये गये सभी लाभार्थियों की सूची उपलब्ध व अन्य 2 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बालेसर) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी बालेसर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	